भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3216
उत्तर देने की तारीख 14 मार्च, 2018

ग्रामीण डाक सेवक

3216. **श्री विद्युत वरण महतो:**
श्री ए. अनवर राजा:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री टी. राधाकृष्णन:
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
श्री नारणभाई काछड़िया:
कुंवर हरिवंश सिंह:
श्री एस. आर. विजय कुमार:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन/पारिश्रमिक में वृद्धि नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनके वेतन/पारिश्रमिक में वृद्धि करने के लिए जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उनके वेतन/पारिश्रमिक में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रेल राज्य मंत्री
(श्री मनोज सिन्हा)

(क) वर्तमान समय में देश में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

जारी--------2/--

(ख) ग्रामीण डाक सेवकों को 7वें वेतन आयोग के दायरे में कवर नहीं किया गया है। अत:, ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों की जांच करने हेतु एकल सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं। सिफारिशों का ब्यौरा **अनुबंध-।।** में दिया गया है।

(ग) जी, हां। जीडीएस समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने के संबंध में सरकार को अनेक जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ड.) जनवरी, 2017 से फरवरी, 2018 तक की अवधि के दौरान ऐसे कुल 34 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। एकल सदस्यीय समिति की सिफारिशें फिलहाल सरकार के विचाराधीन हैं और इन पर यथोचित प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

जारी--------3/--

अनुबंध-I

देश में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	देश में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	15627
2.	अरुणाचल प्रदेश	462
3.	असम	7794
4.	बिहार	15325
5.	छत्तीसगढ़	4645
6.	दिल्ली	139
7.	गोवा	330
8.	गुजरात	13294
9.	हरियाणा	3764
10.	हिमाचल प्रदेश	5916
11.	जम्मू एवं कश्मीर	2495
12.	झारखंड	6041
13.	कर्नाटक	14128
14.	केरल	9532
15.	मध्य प्रदेश	11513
16.	महाराष्ट्र	17807
17.	मणिपुर	1797
18.	मेघालय	857
19.	मिजोरम	926
20.	नागालैंड	785
21.	ओडिशा	14193
22.	पंजाब	5535
23.	राजस्थान	12844
24.	सिक्किम	473
25.	तमिलनाडु	19236
26.	तेलंगाना	8356
27.	त्रिपुरा	1248
28.	उत्तर प्रदेश	26691
29.	उत्तराखंड	5485
30.	पश्चिम बंगाल	16035

देश में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या की संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची

क्र. सं.	संघ राज्यक्षेत्र का नाम	देश में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार	162
2.	चंडीगढ़	50
3.	दमन एवं दीव	17
4.	दादरा एवं नगर हवेली	48
5.	लक्षद्वीप	6
6.	पुदुच्चेरी	161

जारी-------4/--

अनुबंध-II

श्री कमलेश चन्द्र की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- समय संबद्ध निरंतरता भत्ते (टीआरसीए) के भुगतान की पुरानी प्रणाली समाप्त कर पारिश्रमिक भुगतान के एक नए ढांचे का प्रावधान किया गया है। इस नए ढांचे के अंतर्गत 11 टीआरसीए स्लैबों को मिलाकर 3 पारिश्रमिक वेतनमान बनाए गए हैं। इनमें से दो-दो वेतनमान शाखा पोस्टमास्टर (बीपीएम) तथा बीपीएम से इतर कार्मिकों के लिए हैं और एक वेतनमान दोनों श्रेणियों के जीडीएस के लिए समान होगा।
- ग्रामीण डाक सेवक डाकघरों तथा ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की न्यूनतम कार्यावधि को 3 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया गया है।
- जीडीएस डाकघरों की नई कार्यावधि 4 घंटे तथा 5 घंटे की होगी।
- स्तर-1 तथा स्तर-2 के जीडीएस डाकघरों/जीडीएस की नई कार्यावधि क्रमशः 4 घंटे तथा 5 घंटे की होगी।
- शाखा पोस्टमास्टरों के कार्यभार का आकलन किए जाने हेतु प्रयुक्त प्वाइंट प्रणाली समाप्त कर दी गई है।
- पारिश्रमिक ढांचे की नई प्रणाली को जीडीएस डाकघरों द्वारा अर्जित राजस्व से जोड़ा गया है। इस नई प्रणाली के अंतर्गत, स्तर-1 से स्तर-2 तक के शाखा पोस्टमास्टरों के पारिश्रमिक में वृद्धि, कार्यभार के आधार पर नहीं होगी। यह वृद्धि, निर्धारित राजस्व मानदंडों को प्राप्त कर लेने पर ही की जाएगी। राजस्व मानदंड, सामान्य क्षेत्रों के लिए 100% तथा विशेष क्षेत्रों के लिए 50% निर्धारित किए गए हैं।
- ऐसे जीडीएस डाकघर, जो नियत कार्यावधि में निर्धारित मानदंड प्राप्त नहीं कर पाएं, वे प्रतिदिन, नियत कार्यावधि से न्यूनतम 30 मिनट अधिक अवधि के लिए कार्य करेंगे।
- राजस्व के निर्धारित मानदंड प्राप्त करने में सफल जीडीएस शाखा पोस्टमास्टरों को स्तर-2 के पारिश्रमिक के अतिरिक्त 10% राजस्व संबद्ध पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाएगा।
- राजस्व अर्जन के मानदंडों के आधार पर जीडीएस डाकघरों को 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 'क' श्रेणी के जीडीएस डाकघरों को 100% राजस्व मानदंड प्राप्त करने होंगे। समिति ने जीडीएस डाकघरों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध मे कतिपय कार्रवाई की अनुशंसा की है।
- जीडीएस की 6 अनुमोदित श्रेणियों को मिलाकर अब केवल 2 श्रेणियां बना दी गई हैं। एक श्रेणी में शाखा पोस्टमास्टरों को रखा गया है तथा शेष 5 श्रेणियों के जीडीएस कार्मिकों को एक समान मल्टी टॉस्किंग वर्ग में शामिल किया गया है।

जारी--------5/--

- जीडीएस डाकघरों में कार्यरत जीडीएस, सहायक शाखा पोस्टमास्टर तथा विभागीय डाकघरों में कार्यरत जीडीएस, डाक सेवक कहलाए जाएंगे।
- न्यूनतम एवं अधिकतम पारिश्रमिक को बढ़ाकर क्रमशः 10,000/- रूपए तथा 35,480/- रू. प्रतिमाह कर दिया गया है।
- वार्षिक वृद्धि की दर 3% करने की अनुशंसा की गई है।
- कार्मिकों के लिए पहली बार एक सम्मिलित भत्ते का प्रावधान किया गया है। यह भत्ता, डाकघरों के लिए भवन किराए पर लेने, निवास स्थान की अनिवार्य शर्त को पूरा करने, कार्यालय के रख-रखाव, मोबाइल और बिजली पर होने वाले खर्च हेतु सहायता राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- जीडीएस कार्मिकों के लिए 6000/- रूपए प्रतिवर्ष प्रति संतान, शिक्षा भत्ते का प्रावधान किया गया है।
- विशेष क्षेत्रों में कार्यरत जीडीएस कार्मिकों के लिए 500/- रूपए प्रतिमाह जोखिम तथा कठिनाई भत्ते की व्यवस्था भी की गई है।
- दो अग्रिम अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में 12 वर्ष, 24 वर्ष तथा 36 वर्ष की सेवा पूरी होने पर वित्तीय उन्नयन का प्रावधान किया गया है।
- अनुग्रह उपदान की सीमा को 60,000/- रूपए से बढ़ाकर 5,00,000/- रूपए कर दिया गया है।
- सेवा मुक्ति हितलाभ योजना के अंतर्गत, जीडीएस कार्मिकों के अंशदान की सीमा को बढ़ाकर मासिक पारिश्रमिक का न्यूनतम 3% और अधिकतम 10% कर दिया गया है। जबकि, विभाग के द्वारा किए जाने वाला नियत अंशदान, मूल पारिश्रमिक का 3% होगा।
- जीडीएस समूह बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त बीमा कवर की राशि को 50,000/- रूपए से बढ़ाकर 5,00,000/- रूपए कर दिया गया है।
- सर्कल कल्याण निधि के अंतर्गत विभाग के अंशदान को 100/- रूपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 300/- रूपए प्रति वर्ष कर दिया गया है।
- सर्कल कल्याण निधि के दायरे का विस्तार किया गया हे। अब इसमें करीबी पारिवारिक सदस्य, जैसेकि पति, पत्नी, पुत्री, पुत्र और आश्रि त पुत्रवधू भी शामिल होंगे।
- समिति ने सर्कल कल्याण निधि के अंतर्गत वित्तीय अनुदान और सहायता की निर्धारित सीमा में 10% की बढ़ोतरी किए जाने की भी अनुशंसा की है।
- समिति ने सर्कल कल्याण निधि के अंतर्गत "कम ब्याज दर (5%) वाले ऋण के रूप में वित्तीय सहायता" लेखा शीर्ष के तहत टैबलेट/मोबाइल की खरीद के लिए 10,000/- रूपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान करने की अनुशंसा की है।

जारी--------6/--

- महिला जीडीएस कार्मिकों के लिए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के प्रावधान की अनुशंसा की गई है।

- मातृत्व अवकाश की संपूर्ण अवधि के दौरान पारिश्रमिक का भुगतान उसी वेतन शीर्ष के अंतर्गत किए जाने की अनुशंसा की गई है, जिसके (लेखा शीर्ष) तहत जीडीएस कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।
- समिति ने एक सप्ताह के पितृत्व अवकाश की भी अनुशंसा की है।
- 180 दिन तक के अवकाश को जमा करने तथा इसे भुनाने (छुट्टी के बदले नकद भुगतान) की सुविधा प्रारंभ की गई है।
- नियोजन की ऑनलाइन प्रणाली प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई है।
- जीडीएस कार्मिकों के नियोजन हेतु जीवनयापन के वैकल्पिक स्रोत की अनिवार्य शर्त को शिथिल बनाया गया है।
- स्वैच्छिक सेवा मुक्ति की योजना की अनुशंसा की गई है।
- सेवा मुक्ति की आयु 65 वर्ष ही रखी गई है।
- पुरूष जीडीएस कार्मिकों के लिए सीमित स्थानान्तरण सुविधा को 1 बार से बढ़ाकर 3 बार कर दिया गया है। स्थानान्तरण हेतु महिला जीडीएस कार्मिकों को मिलने वाले अवसरों की अधिकतम सीमा हटा दी गई है। स्थानान्तरण संबंधी अधिकार, संबंधित डिवीजनल प्रमुख को प्रदान किए गए हैं।
- पुट ऑफ अवधि के दौरान अनुग्रह भुगतान की राशि को भत्ते के 25% से बढ़ाकर 35% + (जमा) पुट ऑफ अवधि के ठीक पहले के मंहगाई भत्ते तक करने की अनुशंसा की गई है।
- समिति ने जीडीएस कार्मिकों को पुटऑफ ड्यूटी करने की जगह पहले उन्हें स्थानान्तरित किए जाने की अनुशंसा की है।

*****